न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–94/2021
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/141

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
महेन्द्र ईनाणियां पुत्र सहदेव राम जाति जाट निवासी भाकरोद तहसील नागौर, जिला नागौर		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील **श्री ओमप्रकाश फूलफगर।**
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)**श्री रामावतार पूनिया।**

निर्णय **दिनांकः–** 30-08-2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2021 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि, उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र ईनाणियां पुत्र सहदेवराम, ग्राम भाकरोद, तहसील व जिला नागौर राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर में एल. एल. बी. तृतीय वर्ष सत्र 2020–21 का नियमित विद्यार्थी है। जिसने तथ्य छिपाकर राशन की दुकान आवंटन हेतू आवेदन प्रस्तुत कर दुकान आवंटन करवा ली। उक्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पुनियां से करवायी गई। जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में महेन्द्र ईनाणिया पुत्र श्री सहदेवराम को राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर का एल. एल. बी. तृतीय वर्ष सत्र 2020–21 का नियमित विद्यार्थी बताया है। खादय विभाग का दिशा निर्देश दिनांक 17.3.2016 के पैरा नम्बर (ड) (2) में आवेदन के साथ आवेदनकर्ता ने उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वयं किया जायेगा का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार 1 तारीख से 15 तारीख में प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक व अन्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियत किया गया है वगैराह का अंकन करते हुये राशन डीलर के लिये जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील पेश की गई है।

रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा राशन डीलर की दुकान का जिस दिन से चार्ज लिया था उसके बाद में उसके द्वारा नियमित रूप से किसी भी कॉलेज में कोई अध्ययन नहीं किया गया था तथा न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रवर्तन निरीक्षक रामवतार पुनिया द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट के समर्थन में पेश की गई थी। इसके बावजूद अपीलांट को नियमित छात्र मानते हुये आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने जब राशन डीलर का फार्म रेस्पोडेन्ट के विभाग मे जमा करवाया तब उक्त फार्म भरते समय व उसकी स्वघोषणा पत्र में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है कि, कोई विद्यार्थी जो आगे

कलक्टर, नागौर

पढ़ रहा है वह उक्त फार्म भरने के बाद में आगे नियमित रूप से पढ़ सकता है या नहीं तथा न ही ऐसा कोई शपथ पत्र में कॉलम दिया हुआ है। यदि एक बार अपीलांट को नियमित छात्र फार्म भरते समय मान भी लिया जावें तो जिस दिन से उसके द्वारा राशन डीलर की दुकान का चार्ज लिया गया है उस दिन व उसके बाद में वह कभी भी किसी कॉलेज का नियमित छात्र नहीं रहा है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा यह मानना कि, उचित मूल्य की दूकान के साथ साथ नियमित छात्र मानते हुये उसकी दुकान का प्राधिकार पत्र खारिज करने में भारी कानूनी व वाकियाती भूल की है।

अपीलांट ने दिनांक 30.07.2021 को रेस्पोडेन्ट के समक्ष उपस्थित होकर जबाब के लिये अवसर चाहा गया था तथा उसके बाद में वह बीमार हो गया जिससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जा रहे है वह बीमार हो जाने के कारण रेस्पोडेंट के समक्ष उपस्थित नहीं आ पाया तथा जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जबाब प्रस्तुत करने के लिये बीमारी का कारण उल्लेखित करते हुये जबाब का अवसर भी चाहा गया था किन्तु अपीलाट के राजनैतिक विरोधी द्वारा रेस्पोडेंट के समक्ष अपने प्रभाव का गलत उपयोग लेते हुये रेस्पोडेंट को प्रभावित कर अपीलांट को जबाब हेतु अवसर दिये बिना ही दिनांक 18.08.2021 को आदेश जैर अपील पारित करवाया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट ने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में अपीलांट की अनुपस्थिति में ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटी की है। जो खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जैर अपील अपास्त करने का निवेदन किया है।

श्री रामावतार पुनिया प्रवर्त अधिकारी(अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि राकेश भाकल पुत्र श्री बलदेवराम भाकल द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध मुख्यतः शिकायत की कि अपीलान्ट राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर का एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष 2020–2021 का नियमित छात्र है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा तथ्य छिपा कर राशन की दुकान आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दुकान का आवंटन करवा लिया है। उक्त संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक से जॉच करवाई गई, जो प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2021 अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष दिनांक 28.06.2021 को प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहे जाने पर अपीलान्ट को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर आगामी पेशी 18.08.2022 को नियत की गई, परन्तु दिनांक 18.8.2021 को अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा पुनः जबाब हेतु अवसर चाहा गया, परन्तु पूर्व में अपीलान्ट को जबाब हेतु अवसर दे दिये जाने से निर्णय जैर अपील पारित किया गया जो सही है।

प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दिनांकित जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट को राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर का एल0एल0बी0 तृतीय वर्ष 2020–21 का नियमित विद्यार्थी बताया गया है। खाद्य विभाग के दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पैरा अपीलान्ट को प्राधिकार पत्र संख्या 1421 दिनांक 04.02.2021 को प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान भाकरोद का संचालन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता श्री राकेश भाकल पुत्र श्री बलदेवराम भाकल द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मांगी सूचना पर कार्यालय प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर के पत्र कमांक–रा0वि0महा0ना0/2021/10 दिनांक 07.04.2021, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में बताया गया है कि अपीलान्ट महेन्द्र इनाणियां पुत्र सहदेवराम एल.एल.बी. तृतीय वर्ष 2020–21 का नियमित विद्यार्थी बताया है। खाद्य विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पैरा 2(ड़) (2) में आवेदन के साथ अपीलान्ट ने उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वंय किया जाएगा का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। खाद्य विभाग के आदेश कमांक–एफ–17(2)खा0वि0/न्याय/2009 दिनांक 17.12.2019 में उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता पखवाडा (1 तारीख से 15 तारीख) प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक व अन्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियत किया गया है। इस प्रकार एक ओर अपीलान्ट एल.एल.बी. तृतीय वर्ष 2020–21 का नियमित विद्यार्थी वहीं दूसरी ओर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार होने से उसे

कलक्टर,नागौर

उपर्युक्तानुसार उपभोक्ता पखवाडे एवं अन्य दिवसों में निर्धारित समय पर स्वंय उचित मुल्य दुकान खुली रखकर राशन सामग्री आदि के वितरण का कार्य करना है, जो अपीलान्ट नियमित विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार खाद्य विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पैरा 2(ड़) (2) में आवेदन के साथ अपीलान्ट ने उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वंय किया जाएगा के निर्देश एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–12 का स्पष्ट उलंघन किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय जैर अपील पूर्णतया सही होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निविवादित है कि कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान भाकरोद का डीलर है तथा एल.एल. बी. तृतीय वर्ष 2020–21 का नियमित विद्यार्थी भी है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से भी स्पष्ट है। खाद्य विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पैरा 2(ड़) (2) में आवेदन के साथ अपीलान्ट ने उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वंय किया जाएगा का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। खाद्य विभाग के आदेश कमांक–एफ–17(2)खा0वि0/न्याय/2009 दिनांक 17.12.2019 में उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता पखवाडा (1 तारीख से 15 तारीख) प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक व अन्य दिवसों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियत किया गया है। इस प्रकार एक ओर अपीलान्ट एल.एल. बी. तृतीय वर्ष 2020–21 का नियमित विद्यार्थी वहीं दूसरी ओर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार होने से उसे उपर्युक्तानुसार उपभोक्ता पखवाडे एवं अन्य दिवसों में निर्धारित समय पर स्वंय उचित मुल्य दुकान खुली रखकर राशन सामग्री आदि के वितरण का कार्य करना है, जो अपीलान्ट नियमित विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार खाद्य विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के पैरा 2(ड़) (2) में आवेदन के साथ अपीलान्ट ने उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वंय किया जाएगा के निर्देश एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–12 का स्पष्ट उलंघन पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि समस्त होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर